

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों / परियोजना कार्य/ शिक्षता/ प्रशिक्षता/ सामुदायिक
जुड़ाव पाठ्यक्रम के संचालन हेतु निर्देश

1. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु निर्देश :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश किया गया है जिसके द्वारा उद्योग एवं व्यावसायिक जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप जनशक्ति का नियोजन किया जा सके।


व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन :- ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को ही चिन्हित किया जावे जिनकी शिक्षण व्यवस्था महाविद्यालय स्वयं अपने शिक्षकों के सहयोग से कर सकते हैं अथवा निकटस्थ महाविद्यालय से पारस्परिक सहयोग के लिए MOU के आधार पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर सकते हैं।

प्रत्येक महाविद्यालय व्यावसायिक शिक्षा के लिए निर्धारित 25 व्यावसायिक विषयों की सूची में से पाठ्यक्रम संचालन की संख्या न्यूनतम 2 होगी और अधिकतम संख्या का निर्धारण स्थानीय रूप से उपलब्ध विषय विशेषज्ञता एवं संसाधन के आधार पर कर सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ही महाविद्यालय प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में इस प्रकार सीटों, बैच और प्रति बैच विद्यार्थी संख्या का निर्धारण करेंगे, कि पाठ्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

विद्यार्थी को महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रमों से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चुनाव करना होगा। यदि विद्यार्थी महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से अध्ययन न करके किसी अन्य पाठ्यक्रम को अपनी रुचि एवं ज्ञान के आधार पर अध्ययन करना चाहता है तो उसे भारत सरकार के SWAYAM पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित पाठ्यक्रमों में से महाविद्यालय से अनुमति प्राप्त कर स्वयं के व्यय से यह पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

कौशल संवर्धन डेस्क का गठन:- विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रत्येक महाविद्यालय व्यावसायिक पाठ्यक्रम/ परियोजना कार्य - शिक्षता - प्रशिक्षता - सामुदायिक जुड़ाव / कौशल विकास पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए एक कौशल संवर्धन डेस्क (Skill Development Desk) का गठन करेगा जिसके नोडल अधिकारी का नाम, विभाग, मोबाइल नम्बर, कक्ष क्रमांक महाविद्यालय की वेबसाईट तथा नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रकाशित किया जायेगा। विद्यार्थियों की उपरोक्त पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी समस्याओं का उचित व संवेदनशीलता के साथ निराकरण का दायित्व कौशल संवर्धन डेस्क के प्रभारी नोडल अधिकारी का होगा।

संस्था स्तर पर संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार होगी :



प्राचार्य, नोडल अधिकारी एवं संबंधित प्राध्यापकगण यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यावसायिक व कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों का लाभ विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो सके, इस हेतु विद्यार्थियों को दिशा निर्देशित करने के लिए तीन दिवस का उन्मुखीकरण कार्यक्रम अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाये।

व्यावसायिक / कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विद्यार्थी द्वारा संबंधित कौशल क्षेत्र में कितनी दक्षता अर्जित की गयी है जो उसे रोजगार/ स्वरोजगार के अवसर दिला सके। सम्पूर्ण व्यावसायिक/कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम परिणाम आधारित शिक्षा व कौशल विकास की समझ पर आधारित है।

सञ्चालन एवं संसाधनों की व्यवस्था:- व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था महाविद्यालय को स्वयं करनी होगी तथा इसके लिए जनभागीदारी मद से आवश्यक धनराशि नियमानुसार खर्च कर सकेंगे।

प्राचार्य व नोडल अधिकारी स्थानीय उद्योगों से भी कौशल संवर्धन के पाठ्यक्रमों के संचालन में आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त करेंगे जिससे विद्यार्थियों को रोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान व दक्षता को वास्तविक रूप से विकसित करने में मदद मिलेगी।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन :- व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 2 क्रेडिट के सैद्धांतिक एवं 2 क्रेडिट के प्रायोगिक पाठ्यक्रम होंगे। मूल्यांकन का मुख्य आधार होगा कि विद्यार्थी द्वारा निर्धारित CLO(Course Learning Outcome) प्राप्त कर लिए गए हैं या नहीं तथा उनका स्तर क्या

है? सैद्धांतिक प्रश्न पत्र का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार किया जायेगा जबकि प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जायेगा :

- व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन संबंधित सेक्टर स्किल काउन्सिल द्वारा किया जाएगा। यदि किसी विशेष ट्रेड / पाठ्यक्रम के लिए कोई एस.एस.सी. (सेक्टर स्किल काउन्सिल) नहीं है तो ऐसे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किसी अन्य संबंधित क्षेत्रीय परिषद या संबंधित क्षेत्र के भागीदार उद्योग से कराया जा सकता है।
- यदि सेक्टर स्किल काउन्सिल किसी कारण से मूल्यांकन कार्य निर्धारित समयावधि में नहीं करती है तो शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार संस्थान स्वयं Skill Assessment Matrix के अनुसार ज्ञान तथा कौशल मूल्यांकन कर सकते हैं। महाविद्यालय के कौशल मूल्यांकन बोर्ड में प्राचार्य/कौशल संवर्धन कार्यक्रम के नोडल अधिकारी/संबंधित उद्योग का एक प्रतिनिधि/ विश्वविद्यालय द्वारा नामांकित व्यक्ति/एक बाह्य विषय विशेषज्ञ शामिल होगा।

आंतरिक (सतत) एवं बाह्य (विश्वविद्यालयीन) मूल्यांकन में अंको का विभाजन क्रमशः 50 व 50 अंकों का होगा।

अ) आंतरिक मूल्यांकन (50 अंक) हेतु निम्नानुसार विभाजन होगा :

- 05 अंक – उपस्थिति
- 30 अंक – प्रायोगिक रिकॉर्ड
- 15 अंक – मौखिकी

ब) बाह्य (विश्वविद्यालयीन) मूल्यांकन (50 अंक) का विभाजन निम्न प्रकार होगा।

- 40 अंक – निर्धारित सूची अनुसार (listed) प्रायोगिक कार्य परीक्षा
- 10 अंक - मौखिकी

अनु.	प्रस्तुतीकरण (30)	दक्षता (10)	ज्ञान का स्तर (10)	आंतरिक मूल्यांकन (50)	कुल अंक (100)

2. परियोजना कार्य / शिक्षता / प्रशिक्षता/ सामुदायिक जुड़ाव पाठ्यक्रम हेतु निर्देश :

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन अंतर्गत स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में लागू नवीन पाठ्यक्रम संरचना में परियोजना कार्य / शिक्षता/ प्रशिक्षता / सामुदायिक जुड़ाव, के पाठ्यक्रम (4 क्रेडिट) का समावेश किया गया है।

इनमें से किसी एक विधा का चयन कर प्रशिक्षण / अध्ययन करना अनिवार्य है। विद्यार्थी को महाविद्यालय में उपस्थित होकर परियोजना कार्य, प्रशिक्षता, शिक्षता और सामुदायिक जुड़ाव के कार्यक्रम / गतिविधियों की मूल अवधारणा का परिचय प्राप्त करना होगा।

पाठ्यक्रम के चुनाव एवं अन्य जानकारी के लिए महाविद्यालय में त्रि-दिवसीय प्रेरण (इंडक्शन) कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें विद्यार्थी की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। प्रेरण कार्यक्रम में प्रत्येक प्रकार के पाठ्यक्रम की संकल्पना, उसकी विशेषता के साथ विभिन्न प्रपत्रों एवं मूल्यांकन पद्धतियों से विद्यार्थियों को अवगत कराया जायेगा।

प्रेरण (इंडक्शन) कार्यक्रम के उपरांत विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार गतिविधि चुनाव का विकल्प देना होगा। अभिरुचि, वरीयता क्रम व उपलब्धता के आधार पर शिक्षक-अभिभावक, विद्यार्थियों के लिए गतिविधि नियत करेंगे। शिक्षक आवश्यकतानुसार तथा विद्यार्थियों की रुचि के अनुकूल उन्हें सामान्य रूप से उनके द्वारा चयनित मुख्य, गौण, वैकल्पिक विषय से सम्बंधित क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति देंगे, विशेष परिस्थितियों में यदि कोई विद्यार्थी अपने चयनित विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय से सम्बंधित क्षेत्र में कार्य करने चाहता है तो उसे इस कार्य की उपयोगिता, प्रासंगिकता एवं औचित्य का उल्लेख करते हुए महाविद्यालयीन प्राचार्य से टीप सहित विशेष अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

प्रबंधन एवं संचालन :

इन घटकों के गुणवत्ता प्रबंधन एवं सुचारू सञ्चालन को सुनिश्चित करना महाविद्यालय में गठित कौशल संवर्धन डेस्क की जिम्मेदारी होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 25-30 विद्यार्थियों का समूह एक शिक्षक-अभिभावक (Teacher Guardian) को आवंटित किया जाए तथा सम्बंधित शिक्षक इन विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करें। शिक्षक अभिभावक की भूमिका एक उत्प्रेरक एवं सूत्रधार की होगी जो परियोजना/ सर्वे कार्य के लिए विषय- शिक्षक/ पर्यवेक्षक (Supervisor) से भिन्न होगी। शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए परियोजना कार्य को पूर्ण करने में सहायता करेंगे।

विषय-शिक्षक / पर्यवेक्षक के दायित्व में, विद्यार्थी को परियोजना / शोध / सर्वे कार्य आवंटित करना, आवश्यक मार्गदर्शन तथा उसके द्वारा किये जा रहे कार्य की अद्यतन जानकारी का समुचित रिकार्ड अपने पास रखना और आंतरिक मूल्यांकन करना सम्मिलित होगा।



- गतिविधि के प्रथम चरण में विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुरूप शिक्षक पर्यवेक्षक की सहायता से प्रोजेक्ट या अन्य गतिविधि के अंतर्गत कार्य करने के लिए लोगों से चर्चा कर, साहित्य, इन्टरनेट आदि की सहायता से विषय का प्रारंभिक चुनाव करेंगे।
 - यदि विद्यार्थी ने प्रशिक्षुता/ शिक्षुता के विकल्प का चयन किया है तो उसे किसी मान्यता प्राप्त फर्म/ संस्थान से यह गतिविधि पूर्ण करना होगी।
 - विद्यार्थी ने यदि परियोजना कार्य का चयन किया है तो उसे किसी महाविद्यालयीन शिक्षक के मार्गदर्शन में परियोजना कार्य करना होगा।
 - ऐसे विद्यार्थी जिनको को सामुदायिक जुड़ाव के कार्यक्रम / गतिविधियों में अध्ययन करना है तो उसे किसी मान्यता प्राप्त, शासकीय / अशासकीय संस्था / पंजीकृत स्वयंसेवी / गैर शासकीय संगठन (N.G.O.) के साथ जुड़कर या व्यक्तिशः सेवा-अध्ययन करना होगा।
- किसी भी गतिविधि के अंतर्गत कार्य करने की स्थिति में विद्यार्थी को शिक्षक-पर्यवेक्षक के सतत सक्रिय संपर्क में रहकर नियमित रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है, इसके लिए विद्यार्थी द्वारा एक वर्किंग-नोटबुक / डायरी का संधारण किया जायेगा जिसमें अध्ययन, सर्वे, प्रोजेक्ट, डाटा, मार्गदर्शक के साथ चर्चा, नोट्स, आदि अंकित होंगे। इस पर शिक्षक-पर्यवेक्षक के समय-समय पर निरीक्षण हस्ताक्षर होंगे तथा यह वर्किंग-नोटबुक, विद्यार्थी द्वारा अंतिम अध्ययन रिपोर्ट के साथ मूल्यांकन के लिए विषय पर्यवेक्षक के पास जमा की जाएगी।

अनुमति हेतु प्रक्रिया:- किसी बाह्य पंजीकृत प्रतिष्ठित मान्य संस्था / फर्म / व्यक्ति के साथ परियोजना कार्य / शिक्षुता / प्रशिक्षुता / सामुदायिक जुड़ाव कार्य करने के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य की लिखित पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा, प्राचार्य महोदय सहभागी संस्थान की गुणवत्ता एवं अन्य आवश्यक विवरणों से व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने पर ही ऐसी अनुमति जारी कर सकेंगे। उपरोक्त हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है :

- निर्दिष्ट बाह्य संस्थान की जानकारी एवं सहमति प्राप्त करने के लिए शिक्षक-पर्यवेक्षक तथा प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र (प्रारूप- G1) संस्थान को दिया जाए।
- संस्थान द्वारा प्रारूप- G2 में अपेक्षित अधिकतम विद्यार्थी संख्या का उल्लेख करते हुए सहमति पत्र प्रदान किया जायेगा।
- प्रारूप- G3 में महाविद्यालय द्वारा संस्था को विद्यार्थियों की सूची सहित औपचारिक अनुरोध प्रेषित किया जाएगा जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि इस सहयोग के लिए

सम्बंधित बाह्य संस्थान, विद्यार्थियों अथवा महाविद्यालय से कोई शुल्क नहीं ले सकेंगे। साथ ही संस्थान को प्रारूप- G4 के अनुसार एक प्रतिपुष्टि पत्रक (Feedback Form) भी संलग्न कर भेजा जाएगा जिसमें विद्यार्थियों का सम्बंधित संस्थान द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।

नोट :- निर्देश के अंत में, सभी प्रारूप और उनके आवश्यकतानुसार विवरण; अनुलग्नक (प्रारूप) के रूप में दिए गए हैं, सभी प्रारूप केवल सुझावात्मक तथा उदाहरण मात्र हैं अर्थात् कार्य की आवश्यकता और सन्दर्भ के अनुसार उनमें आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं।

2.1 परियोजना कार्य (Project Work)

नवीन अकादमिक संरचना में परियोजना कार्य एक महत्वपूर्ण अंग है। परियोजना कार्य आधारित शिक्षण, विद्यार्थी के व्यक्तिगत अथवा समूह में रहकर अनुसंधान गतिविधियों का संयोजन है, जिससे विद्यार्थी फील्ड स्टडी के माध्यम से न सिर्फ अनुसंधान करना सीखता है अपितु समूह में एक साथ घनिष्ठ रूप में कार्य करना भी सीखता है। महाविद्यालय के बाहर के फील्ड स्टडी/ केस स्टडी के अनुभव विद्यार्थियों के लिए अमूल्य है। परियोजना कार्य के माध्यम से, विद्यार्थियों में समूह-अनुसंधान गतिविधियों के अलावा स्वप्रबंधन, लोकतांत्रिक राय निर्माण, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता में अभिवृद्धि होती है।

परियोजना कार्य में शिक्षक की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को दिये जाने वाले मार्गदर्शन के द्वारा, शिक्षकों में भी अनुसंधान प्रवृत्ति, विषय में अंतर्दृष्टि और समस्याओं को समझने एवं उनके निराकरण का कौशल विकसित होगा। परियोजना कार्य की विशेषता है कि इसमें शामिल सभी लोग एक-दूसरे से सीखते हैं। शिक्षक का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों के साथ अकादमिक संवाद स्थापित करें, विषय से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर सोचने एवं प्रश्न करने की प्रवृत्ति विकसित करें तथा उनके उत्तर प्राप्त करने के लिये उपयुक्त शोध प्रविधियों को अपनाने के सुझाव दे तथा विद्यार्थियों द्वारा किये गये कार्यों की सतत समीक्षा करेंगे।

क) परियोजना कार्य हेतु विषय का चयन -

परियोजना कार्य में विषय का चयन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विषय / शीर्षक चयन में, विद्यार्थियों की विषय विशेष में रुचि को आधार मानकर, परियोजना की उपादेयता को ध्यान में रखते हुये विषय आवंटन करना चाहिए। परियोजना कार्य न ही बहुत व्यापक हो, न ही बहुत सीमित हो, अर्थात् नियत समय अवधि में, विद्यार्थी इसे पूर्ण कर सकें।

परियोजना कार्य के विषय का व्यक्तिगत एवं समाजिक महत्व भी होना चाहिए, तथा यह एक शोध विषय के रूप में अनुसंधान को प्रेरित करने वाला हो। शिक्षक यह सुनिश्चित करें कि शोध के विषय के चयन हेतु Learning Outcomes इस प्रकार निर्धारित किये जाएँ जो प्राप्ति योग्य

हों तथा जिनके आधार पर प्राप्त ज्ञान एवं कौशल का मापन व अवलोकन (Measurable and Observable) स्पष्टता के साथ किया जा सके ।

परियोजना कार्य को महाविद्यालय के उपलब्ध संसाधन यथा लाईब्रेरी, इंटरनेट, ऑडियो विजुअल सामग्री तथा महाविद्यालय के बाहर फील्ड वर्क / केस स्टडी / अथवा अन्य संस्थान का शैक्षणिक भ्रमण आदि के आधार पर पूर्ण किया जाना चाहिए ।

ख) परियोजना कार्य हेतु निर्देश -

- परियोजना कार्य सामान्य रूप से विषय से संबंधित विद्यार्थियों के समूह बनाकर उन्हें आवंटित किये जायें। समूह में विद्यार्थियों की संख्या परियोजना कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुरूप रखी जा सकती है । समूह में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम 4 से अधिकतम 6 हो सकती है ।
- विद्यार्थी समूह को फील्ड वर्क आधारित परियोजना कार्य में विद्यार्थी को 07 पूर्ण दिवस अथवा 15 दिवस अंश कालीन (पार्ट टाइम) फील्ड वर्क करना अनिवार्य है । यदि वह मान्यता प्राप्त संस्था से यह कार्य कर रहा है तो उस संस्था का प्रमाण-पत्र अथवा फील्ड वर्क के साक्ष्य फोटो के रूप में रिपोर्ट में प्रस्तुत करना होगा ।
- परियोजना रिपोर्ट स्वहस्तलिखित न्यूनतम 5000 शब्दों में प्रस्तुत करना होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आवश्यकतानुसार, चार्ट, ग्राफ, फोटोग्राफ आदि का प्रयोग करना आवश्यक है ।
- परियोजना कार्य में समूह में शामिल सभी विद्यार्थियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख परियोजना प्रविधि में किया जाना आवश्यक होगा। संबंधित शिक्षक ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक 15 दिवस पर, विद्यार्थी समूह की बैठक आयोजित कर निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, विद्यार्थी समूह द्वारा किये गये प्रयासों की समीक्षा करेंगे ।
- परियोजना कार्य किसी भी रूप में नकल पर आधारित नहीं होगा। विद्यार्थियों को स्वविवेक से उपलब्ध संसाधनों के आधार पर परियोजना कार्य को पूर्ण करना होगा । विद्यार्थियों को यह प्रमाण पत्र भी रिपोर्ट के साथ देना होगा की प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट उनका मौलिक कार्य है। परियोजना कार्य दीर्घ अवधि में पूर्ण किया जाना है, परंतु किसी भी स्थिति में विद्यार्थी को चालू सत्र में 31 दिसंबर के पूर्व परियोजना कार्य पूर्ण करना आवश्यक है ।

नोट :- वर्तमान अकादमिक सत्र 2021 -22 से यह कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी है ।

ग) परियोजना कार्य का मूल्यांकन -

परियोजना कार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों में विषय से संबंधित प्रमुख बिन्दुओं पर रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। प्रत्येक विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह, परियोजना के निर्धारित अवधि के अंत में परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसका मूल्यांकन नियमानुसार किया जायेगा।

- मूल्यांकनकर्ता ये सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना कार्य में निर्धारित आवश्यक चरणों का समावेश किया गया है तथा परियोजना कार्य द्वारा पूर्व निर्धारित Learning Outcomes प्राप्त कर लिए गए हैं।
- विद्यार्थी समूह द्वारा रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण भी किया जाये, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी की निर्धारित भूमिका एवं उसके द्वारा कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाये।
- विद्यार्थियों द्वारा 15-15 दिवस में न्यूनतम तीन प्रगति प्रतिवेदन (प्रारूप -P1, P2, P3) में देना होगा, जिसके आधार पर संबंधित शिक्षक सतत् मूल्यांकन का कार्य करेंगे।
- सतत् मूल्यांकन के अतिरिक्त परियोजना कार्य की अंतिम रिपोर्ट (प्रारूप - P4 प्रारूप में) जमा करने के पश्चात् परियोजना कार्य का विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक की उपस्थिति में प्रस्तुतिकरण एवं मौखिकी परीक्षा होगी। उसी के आधार पर अंतिम मूल्यांकन तथा नियमतः ग्रेड आवंटित किया जावेगा।

आंतरिक (सतत्) एवं बाह्य मूल्यांकन में अंकों का विभाजन क्रमशः 50 एवं 50 अंकों का होगा।

अ) आंतरिक मूल्यांकन (50 अंक) हेतु विद्यार्थी समूह निर्धारित प्रारूप में तीन प्रगति प्रतिवेदन, निश्चित अंतराल पर प्रस्तुत करेगा। आंतरिक मूल्यांकन हेतु तीनों रिपोर्ट में से, दो श्रेष्ठ रिपोर्ट की गणना की जायेगी।

ब) बाह्य मूल्यांकन (50 अंक) का विभाजन निम्न अनुसार होगा:

- 30 अंक – अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण (सामूहिक)
- 20 अंक – मौखिकी (व्यक्तिगत)

प्रत्येक विद्यार्थी का परियोजना कार्य में आवंटित कार्य, उसके द्वारा निष्पादित कार्य एवं परियोजना हेतु निर्धारित तथा अर्जित दक्षताओं (Learning Outcomes) के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

परियोजना कार्य में संलग्न विद्यार्थी, परियोजना के अलग-अलग चरणों में 3 पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट (प्रारूप - P1, P2 व P3) 15-15 दिवस के अन्तराल में प्रस्तुत करेंगे।

परियोजना कार्य करने वाले विद्यार्थियों की अंतिम रिपोर्ट के लिए प्रारूप - P4 निर्धारित है, इस रिपोर्ट में, पूर्व में जमा की गई प्रथम, द्वितीय व तृतीय पाक्षिक रिपोर्ट के विवरण को भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया जा सकेगा।

2.2 प्रशिक्षता (Internship) एवं शिक्षता (Apprenticeship)

प्रदेश के विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावसायिक व व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए नवीन अकादमिक संरचना में शिक्षता / प्रशिक्षता एक प्रमुख अवयव है। प्रशिक्षता एवं शिक्षता पाठ्यक्रम को विद्यार्थी किसी संस्था / फर्म / व्यावसायिक संगठन / व्यक्ति के साथ रहकर पूर्ण करता है तथा निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के पश्चात् संस्था / फर्म / व्यावसायिक संगठन / व्यक्ति द्वारा उसे इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है।

शिक्षता / प्रशिक्षता कार्यक्रम की सफलता प्राचार्य एवं प्राध्यापकों के कुशल मार्गदर्शन पर निर्भर है। ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षता कार्यक्रम करना चाहते हैं वे संबंधित विषय के शिक्षक की अनुशंसा पर प्राचार्य की अनुमति से यह पाठ्यक्रम पूर्ण कर पायेंगे। विद्यार्थी को शिक्षता / प्रशिक्षता कार्यक्रमलिये संबंधित व्यक्ति / संस्था / फर्म से सहमति पत्र प्राप्त कर महाविद्यालय में जमा करना होगा। इसके पश्चात् ही प्राचार्य विद्यार्थी को शिक्षता / प्रशिक्षता पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करेंगे।

प्राचार्य एवं शिक्षकगण यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थी शिक्षता / प्रशिक्षता पाठ्यक्रम के लिए जिस संस्था / व्यक्ति के पास जा रहा है वो प्रतिष्ठित, स्तरीय व वैधानिक है तथा शिक्षता/ प्रशिक्षता कार्यक्रम का निष्पादन करने के लिये सक्षम है। पाठ्यक्रम / सह गतिविधि की गुणवत्ता के लिए संबंधित शिक्षक एवं विद्यार्थी समान रूप से जिम्मेदार होंगे। प्रत्येक शिक्षता / प्रशिक्षता पाठ्यक्रम के लिये Learning Outcomes का स्पष्ट निर्धारण करना होगा।

(क) प्रशिक्षता / शिक्षता कार्य हेतु निर्देश :

- प्रशिक्षता, शिक्षता के कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कार्यारम्भ के प्राथमिक चरण में, कार्य की प्रारंभिक रूपरेखा, कार्यक्षेत्र, संस्थान की जानकारी, आदि प्रारूप - A1 में प्रस्तुत करना होगा।
- विद्यार्थी को 07 पूर्ण दिवस अथवा 15 दिवस पार्ट टाइम कार्य संबंधित व्यक्ति / संस्था / व्यावसायिक संगठन / फर्म के साथ करना होगा तथा इसके उपरांत शिक्षता पाठ्यक्रम में संबंधित संस्था / व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिपुष्टि प्रपत्र (Feedback Form -

G4) के आधार पर ही विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन किया जायेगा जो कि कुल अंक का 50 प्रतिशत होगा ।

- शिक्षता / प्रशिक्षता पूर्ण करने के पश्चात् विद्यार्थी महाविद्यालय में उसके द्वारा किये गये शिक्षता / प्रशिक्षता कार्य की अंतिम रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप – A2 में प्रस्तुत करेगा तथा जिसमें उसके द्वारा शिक्षता से प्राप्त ज्ञान व कौशल वृद्धि का भी उल्लेख होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उद्देश्य, पूर्व निर्धारित Learning Outcomes, शिक्षता / प्रशिक्षता की अवधि में ज्ञान व कौशल में अभिवृद्धि तथा भविष्य की योजना आदि का उल्लेख करना होगा । यह रिपोर्ट स्वहस्तलिखित, न्यूनतम 2000 शब्दों की होनी चाहिए, आवश्यकतानुसार ग्राफ, फोटोग्राफ, चार्ट आदि का समावेश किया जाना चाहिए ।

(ख) प्रशिक्षता (Internship) / शिक्षता (Apprenticeship) कार्य का मूल्यांकन :-

निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्रशिक्षण कार्य की प्रस्तुत रिपोर्ट का सत्रांत में मूल्यांकन किया जायेगा । आंतरिक मूल्यांकन के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक की उपस्थिति में विद्यार्थी को प्रस्तुतीकरण तथा मौखिकी देना होगा । मूल्यांकन, रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण एवं मौखिकी पर आधारित होगा जिसमें विद्यार्थी के द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल में प्रशिक्षता / शिक्षता के कारण हुई अभिवृद्धि मुख्य आधार होंगे ।

- मूल्यांकनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि रिपोर्ट में निर्धारित आवश्यक चरणों का समावेश किया गया है तथा प्रशिक्षता (Internship) / शिक्षता (Apprenticeship) कार्य द्वारा पूर्व निर्धारित Learning Outcomes प्राप्त कर लिए गए हैं, उसी के आधार पर अंतिम मूल्यांकन तथा नियमतः ग्रेड आवंटित किया जावेगा ।
- आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में अंको का विभाजन क्रमशः 50 अंकों का होगा ।
- संबंधित संस्था/ व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिपुष्टि प्रपत्र (Feedback Form प्रारूप G4) के आधार पर ही विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन किया जायेगा जो कि कुल 50 अंक का होगा ।
- बाह्य मूल्यांकन (50 अंक) का विभाजन निम्न अनुसार होगा :
 - 30 अंक – अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रस्तुतीकरण
 - 20 अंक – मौखिकी

प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा गुणवत्तापरक कार्य निष्पादन एवं अर्जित उपलब्धियों (Learning Outcomes) के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा ।

2.3 सामुदायिक जुड़ाव (Community Engagement)

सामुदायिक जुड़ाव से अभिप्राय है विभिन्न परिवेश, विशिष्ट / समान रूचियों, सामाजिक संरचना वाले व्यक्तियों या समुदायों से जुड़ कर किसी सामाजिक सरोकार के लिए कार्य करना।

उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के प्रमुख उद्देश्य:

- समाज एवं शिक्षण संस्थानों के बीच की खाई को पाटना जिससे अध्यापन / शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो।
- उच्च शिक्षण संस्थानों और स्थानीय समुदायों के बीच गहरी समझ को बढ़ावा देना।
- समुदायों के समक्ष आने वाली वास्तविक जीवन की समस्याओं की पहचान और समाधान के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रयास।
- सार्वजनिक सेवा और मूल्यों को उत्प्रेरित करना।
- स्थानीय समुदायों और उच्च संस्थानों के बीच भागीदारी को सुगम बनाना ताकि छात्र स्थानीय ज्ञान से सीख सकें।

सामुदायिक जुड़ाव संबंधी गतिविधियों के उदाहरण :

- स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, जनजागृति शिविर, विकलांगता शिविर और स्वच्छता शिविरों का आयोजन।
- मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, पेयजल विश्लेषण, ऊर्जा उपयोग और ईंधन दक्षता सर्वेक्षण का संचालन।
- जैविक खेती, सिंचाई और उर्वरकों के तर्कसंगत उपयोग और फसलों और पौधों की पारंपरिक प्रजातियों को बढ़ावा देने के संबंध में किसानों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना।
- स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र पर निरीक्षण और प्रदान की जा रही सेवाओं का अध्ययन।
- स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों के साथ बातचीत, और उनके कार्यों और चुनौतियों का अध्ययन।
- स्थानीय कारीगरों व कामगारों के कौशल का अध्ययन कर उन्नयन और आजीविका गतिविधियों की कार्य योजना बनाना।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लोगो की समझ बढ़ाना, पर्यावरण के जागरूक समुदाय का निर्माण करना।

- ग्रामीण स्कूलों / मध्याह्न भोजन केंद्रों का दौरा, संसाधन-अंतराल, शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे का अध्ययन।
- सौर ऊर्जा परियोजना स्थलों का फील्ड दौरा, विश्लेषण करना और समस्या समाधान की पहल।
- ग्राम विकास योजना तैयार करने और संसाधन जुटाने के संबंध में स्थानीय नेताओं, पंचायत पदाधिकारियों और स्थानीय संस्थानों के साथ संवादात्मक सामुदायिक अभ्यास।
- अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में प्रतिभागिता, और स्कूल छोड़ने वालों (ड्राप आउट) का साक्षात्कार।
- स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों और कर्मचारियों के साथ बातचीत।
- सार्वजनिक संपत्ति, संसाधन प्रबंधन, ग्राम तालाब रखरखाव और मत्स्य समितियों के गठन की प्रक्रिया।
- ग्राम सभा की बैठकों में प्रतिभागिता, और समुदाय की भागीदारी का अध्ययन, ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण अभ्यास, कार्यक्रम के लाभार्थी और इनके साथ बातचीत।
- ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत सहायता के लिए मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण आयोजित करना।

(क) सामुदायिक जुड़ाव / सेवा कार्य हेतु निर्देश :

इस क्षेत्र में कार्य करने को इच्छुक विद्यार्थी किसी स्थानीय प्रतिष्ठित स्वयंसेवी / मान्यता प्राप्त गैर शासकीय संगठन के साथ जुड़कर किसी सकारात्मक सामाजिक सरोकार जैसे प्रौढ शिक्षा, बाल मजदूरी, अनाथ आश्रम प्रबंधन, वृद्धाश्रम, जलसंरक्षण आदि के संदर्भ में सेवा कार्य कर सकेंगे।

सामुदायिक जुड़ाव गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थी जिस संस्था के साथ जुड़कर सेवा/ शोधकार्य करना चाहते हैं उनसे संपर्क कर उनके समस्त प्रारंभिक विवरण जैसे कार्यक्षेत्र, कार्य अनुभव, पंजीकरण, किए गए कार्य, प्राप्त पुरस्कार आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे।

यह आवश्यक होगा कि उक्त संस्था किसी धार्मिक, जातिगत अथवा राजनैतिक रूप से पूर्णतः निरपेक्ष हो, किसी सम्प्रदाय अथवा विशिष्ट राजनैतिक विचारधारा से अभिप्रेरित न हो, किसी वैधानिक स्तर पर चिन्हित व सत्यापित हो। एन.जी.ओ. के पंजीकरण की जानकारी ngodarpan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

विद्यार्थी अपनी रुचि एवं निर्दिष्ट उपरोक्त मानदण्डों के अनुरूप कार्य व संस्था का नाम / विवरण प्रभारी शिक्षक को प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तावित कार्य व स्वरूप की रूपरेखा व लक्षित प्रतिफल का विवरण भी शिक्षक को प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्तावित कार्य, संस्था की वैधानिकता और कार्य के अपेक्षित स्वरूप आदि से संतुष्ट होने पर प्रभारी शिक्षक की अनुशंसा पर, महाविद्यालय के प्राचार्य, विद्यार्थी को, सामाजिक जुड़ाव गतिविधि के लिए अनुमत कर सकेंगे। सामुदायिक जुड़ाव की गतिविधियों में शोध/ अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को कार्यारम्भ के प्राथमिक चरण में, कार्य की प्रारंभिक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप - C1 नियत है।

उक्त कार्य हेतु विद्यार्थी 7 दिवस का पूर्णकालिक अथवा 15 दिवस का अंशकालिक फील्ड कार्य करेंगे।

विद्यार्थी विस्तृत प्राथमिक प्रस्ताव पर्यवेक्षक शिक्षक को प्रारूप - C1 प्रारूप में प्रस्तुत करेगा तथा अंतिम विस्तृत रिपोर्ट व अनुशंसाएं स्व-हस्तलिपि में फोटोग्राफ्स सहित निर्धारित प्रारूप - C2 में जमा करेंगे, सम्बंधित सहयोगी / मार्गदर्शक संस्था की मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है।

(ख) मूल्यांकन हेतु निर्देश:

- आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में अंको का विभाजन क्रमशः 50 एवं 50 अंकों का होगा।
- संबंधित संस्था/ व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिपुष्टि प्रपत्र (Feedback Form) के आधार पर ही विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन किया जायेगा जो कि कुल 50 अंक का होगा।
- बाह्य मूल्यांकन (50 अंक) का विभाजन निम्न अनुसार होगा:
 - 30 अंक - अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण
 - 20 अंक - मौखिकी

प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा गुणवत्तापरक कार्य निष्पादन एवं अर्जित उपलब्धियों (Learning Outcomes) के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

3. स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए निर्देश

3.1 मुख्य, गौण और वैकल्पिक विषय हेतु निर्देश

मुख्य (मेजर), गौण (माइनर) और वैकल्पिक (इलेक्टिव) विषयों में प्रायोगिक कार्य का सञ्चालन :
यदि विद्यार्थी महाविद्यालय में संचालित वैकल्पिक विषय का अध्ययन नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें भारत सरकार के SWAYAM पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित क्रेडिट के पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम का चयन कर महाविद्यालय से अनुमति प्राप्त कर स्वयं के व्यय से यह पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। भारत सरकार के SWAYAM पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित क्रेडिट से अधिक क्रेडिट के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने पर वार्षिक ग्रेड पॉइंट की गणना में निर्धारित क्रेडिट ही जोड़े जायेंगे।

प्रायोगिक कार्य का आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन :

अ) आंतरिक मूल्यांकन (30 अंक) का निम्नानुसार विभाजन होगा :

- 10 अंक : प्रायोगिक कक्षा में प्रश्नोत्तरी
- 10 अंक : प्रायोगिक कक्षा में उपस्थिति
- 10 अंक : असाइमेंट / प्रायोगिक कौशल / मौखिकी

ब) बाह्य मूल्यांकन (70 अंक) का निम्नानुसार विभाजन होगा :

- 10 अंक : प्रायोगिक मौखिकी
- 10 अंक : प्रायोगिक रिकॉर्ड फाईल
- 50 अंक : टेबल वर्क/ प्रायोगिक कार्य

कुल 100 अंक

3.2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु निर्देश

व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन :- स्वाध्यायी विद्यार्थी जिस महाविद्यालय को अपना परीक्षा केंद्र चयनित करेंगे, उन्हें उस महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन करना आवश्यक होगा। विद्यार्थी महाविद्यालय द्वारा

उपलब्ध कराए गये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से अध्ययन न करके अपनी रुचि एवं ज्ञान के आधार पर किसी अन्य पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें भारत सरकार के SWAYAM पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित क्रेडिट के पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम का चयन कर, महाविद्यालय के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर स्वयं के व्यय से यह पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। इस आशय की सूचना महाविद्यालय/केन्द्र को लिखित में देनी होगी।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 क्रेडिट का सैद्धांतिक एवं 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल होगा। प्रायोगिक कार्य हेतु स्वाध्यायी विद्यार्थियों को चयनित महाविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रायोगिक कार्य करना होगा। विद्यार्थी महाविद्यालय में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में ही प्रायोगिक कार्य कर सकेंगे।

3.3 परियोजना कार्य / शिक्षता/प्रशिक्षता / सामुदायिक जुड़ाव पाठ्यक्रम हेतु निर्देश

म.प्र. में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन अंतर्गत स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में लागू नवीन पाठ्यक्रम संरचना में परियोजना कार्य / शिक्षता/ प्रशिक्षता/ सामुदायिक जुड़ाव, के पाठ्यक्रम (4 क्रेडिट) का समावेश किया गया है। ये पाठ्यक्रम 4 क्रेडिट के होंगे। इनके अंतर्गत 2 क्रेडिट सैद्धांतिक एवं 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल के होंगे। विद्यार्थी द्वारा निर्धारित CLO (Course Learning Outcomes) प्राप्त कर लिए गए हैं या नहीं, यही मूल्यांकन का मुख्य आधार होगा। इनमें से किसी एक विधा का चयन कर प्रशिक्षण/अध्ययन करना अनिवार्य है। महाविद्यालय द्वारा स्वाध्यायी विद्यार्थी को चयनित विधा में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु विषय शिक्षक को निर्देशित किया जायेगा।

विषय-शिक्षक / पर्यवेक्षक, विद्यार्थी को परियोजना / शोध / सर्वे कार्य आबंटित करेंगे, आवश्यक मार्गदर्शन तथा उसके द्वारा किये जा रहे कार्य की अद्यतन जानकारी का समुचित रिकार्ड अपने पास रखेंगे और आंतरिक मूल्यांकन कर नियमानुसार अंकों का संधारण करेंगे।

नोट : स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए उपरोक्त पाठ्यक्रमों के सञ्चालन हेतु अन्य नियम एवं प्रारूप नियमित विद्यार्थियों के समान ही लागू होंगे।

महाविद्यालय के लेटर हैड पर

क्रं //अका.//2022

भोपाल, दिनांक

प्रति,

.....

.....

विषय: आपके संस्थान/मार्गदर्शन में परियोजना कार्य / प्रशिक्षण एवं जानकारी संबंधित।

महोदय/महोदया

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिये विषयान्तर्गत प्रशिक्षण / मार्गदर्शन कार्य करवाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

तत्संबंध में आपका संस्थान / मार्गदर्शन / महत्वपूर्ण है जिसमें हमारे विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। कृपया संलग्न प्रपत्र पर संस्था / प्रशिक्षक / व्यवसाय के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सहमति देने का सादर अनुरोध है।

धन्यवाद

संलग्नक - प्रारूप- G2

प्राचार्य के हस्ताक्षर

सील

परियोजना कार्य / प्रशिक्षता / शिक्षता / सामुदायिक जुड़ाव के प्रशिक्षण हेतु

संस्था की जानकारी एवं सहमति पत्र

1. संस्थान / प्रशिक्षक / व्यवसाय का नाम

एवं पंजीकरण

2. संस्था का स्वरूप (निजी / शासकीय /

अर्द्धशासकीय / अन्य)

3. संस्थान के मार्गदर्शन क्षेत्र का नाम

(जिसमें कार्य किया जाता है)

4. संस्थान के अंतर्गत विभिन्न पदों /

कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या

5. अपेक्षित अधिकतम विद्यार्थी संख्या

जिनको संस्थान प्रशिक्षण दे सकता है

6. संस्थान से प्रशिक्षण उपरांत संगठित/

असंगठित क्षेत्र में रोजगार की संभावना

7. अन्य विशेष जानकारी

संस्था/व्याक्तिगत मार्गदर्शन द्वारा, महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सहमति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर एवं दिनांक

संस्था प्रमुख/अधिकृत व्यक्ति का नाम

महाविद्यालय के लेटर हैड पर

क्रं/...../अका./...../2022

भोपाल, दिनांक

प्रति,

.....

.....

विषय: आपके संस्थान/मार्गदर्शन में परियोजना कार्य/प्रशिक्षण संबंधित।

महोदय / महोदया

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिये विषयान्तर्गत प्रशिक्षण / मार्गदर्शन कार्य करवाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

तत्संबंध में आपका संस्थान / मार्गदर्शन / महत्वपूर्ण है जिसमें हमारे विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। अतः इन्हे प्रशिक्षण देने का एवं प्रशिक्षण उपरांत विद्यार्थी से प्रशिक्षण संबंध ज्ञान एवं कौशल की जानकारी, संलग्न प्रतिपुष्टि (फीड बैक) प्रपत्र में उपलब्ध कराने का अनुरोध है, जिसके आधार पर विद्यार्थी का प्रशिक्षण उपरांत मूल्यांकन किया जा सके।

धन्यवाद

संलग्नक-

1. प्रतिपुष्टि प्रपत्र (प्रारूप G4)
2. प्रशिक्षण हेतु विद्यार्थियों की सूची

प्राचार्य के हस्ताक्षर

सील

प्रतिपुष्टि प्रपत्र * (Feedback Form)

(परियोजना कार्य / प्रशिक्षुता/ शिक्षुता/ सामुदायिक जुड़ाव)

*सम्बंधित बाह्य संस्था (यदि कोई हो) के संस्था प्रमुख/ अधिकृत अधिकारी/ मार्गदर्शक द्वारा भरा जाए

प्रशिक्षु विद्यार्थी का नाम :

महाविद्यालय का नाम :

कक्षा:

सेक्शन एवं अनुक्रमांक :

स.क्र.	मूल्यांकन आधार	प्रदत्त मूल्यांकन श्रेणी (A/B/C)#	टिप्पणी
1.	विद्यार्थी की नियमित उपस्थिति		
2.	विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक ज्ञान		
3.	कार्यावधि में विद्यार्थी द्वारा अर्जित कौशल, व्यवहारिक ज्ञान		
4.	कार्य के प्रति विद्यार्थी की रूचि, गंभीरता		
5.	कार्यावधि में विद्यार्थी का सीखने के प्रति रवैया (attitude) एवं व्यवहार		
6.	सहकर्मियों, अन्य सदस्यों से सामंजस्य, समूह में कार्य करने की क्षमता		
7.	विद्यार्थी की समग्र (Overall) श्रेणी		

श्रेणी : A->उत्कृष्ट, B-> अच्छा, C-> सामान्य

दिनांक :

स्थान :

अधिकृत व्यक्ति के
हस्ताक्षर

नाम :

पदमुद्रा (सील)

प्रोजेक्ट (परियोजना) कार्य का प्रथम प्रगति प्रतिवेदन

(स्व-हस्तलिखित, 500 शब्दों में)

1. परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र

इस बिंदु के अंतर्गत विद्यार्थी अपनी परियोजना का प्रारंभिक परिचय प्रस्तुत करेंगे जिसमें कार्य का वृहत क्षेत्र, आवश्यकता एवं विषय वस्तु की परिकल्पना का विवरण दिया जावेगा।

2. परियोजना कार्य की योजना

प्रस्तावित कार्य की रूपरेखा तथा किस प्रकार उसे संपन्न किया जाना है, इसकी जानकारी प्रस्तुत करें।

3. विद्यार्थियों में कार्य विभाजन

समूह में कार्य करने वाले विद्यार्थियों के मध्य परियोजना से सम्बंधित कार्यों का समान तथा स्पष्ट विभाजन होना अनिवार्य है। कार्य योजना के साथ साथ इस कार्य विभाजन का उल्लेख भी प्रारंभ में ही किया जावेगा जिससे विद्यार्थियों के द्वारा संपन्न कार्य की पृथक पृथक मूल्यांकन के समय स्पष्टता हो सके।

4. सम्बंधित कार्यस्थल / संस्थान का विवरण (जहाँ कार्य किया जाना है)

परियोजना कार्य / फील्ड सर्वे इत्यादि का कार्यस्थल, जहाँ इसे पूर्ण किया जाना है, अथवा जिस संस्थान या स्थल का प्रारूप समक्ष रखकर योजना बनाई गई है, उसका पूर्ण विवरण दें। विषय की आवश्यकता के अनुरूप संस्थान के अंतर्गत कार्यों का विवरण एवं परियोजना कार्य से सम्बंधित कार्यप्रणाली का विवरण देना उचित होगा।

5. उद्देश्य तथा प्रासंगिकता

प्रस्तावित परियोजना के लक्ष्य संक्षिप्त और SMART* होना चाहिए।

*S-Specific (विशिष्ट/ स्पष्ट), M-Measurable (मापन योग्य), A-Achievable (प्राप्त/पूर्ण करने योग्य) R-Realistic/ Relatable (वास्तविक/ प्रासंगिक), T-Time Bound (समयबद्ध)

- यहाँ विशिष्ट होने से अभिप्राय है कि परियोजना कार्य के पीछे स्पष्ट निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित हों। मापन योग्य का अर्थ है कि उद्देश्य को इस प्रकार से परिभाषित किया जाए कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित उद्देश्य की पूर्ण / आंशिक पूर्ति हो सकी है अथवा नहीं। साथ ही उद्देश्यों की वास्तविक प्राप्ति की सुनिश्चितता संभावना भी अवलोकनीय हो। परियोजना कार्य के उद्देश्य को कितने समय में, किस प्रकार से पूर्ण किया जा सकेगा इसका भी कथन कार्ययोजना में होना चाहिए।

परियोजना की उपयोगिता, वास्तविक जीवन में प्रासंगिकता और इसके अनुप्रयोग के बारे में इस रिपोर्ट में लेखन किया जाना चाहिए।

प्रोजेक्ट (परियोजना) कार्य का द्वितीय प्रगति प्रतिवेदन

(स्व-हस्तलिखित, 500 शब्दों में)

1. परियोजना कार्यप्रणाली (वर्क फ्लो)

परियोजना कार्य में की जाने वाली कार्यवाही, चरण और उनके क्रम के बारे में इस रिपोर्ट में लेखन किया जाए ।

2. जानकारी संग्रह / फील्ड सर्वे का विवरण

परियोजना सम्बंधित सर्वे, आवश्यक जानकारी संग्रह, प्रक्रिया की जानकारी आदि ।

3. साहित्य समीक्षा

इस परियोजना से सम्बंधित पूर्व कार्य, तकनीकी पक्ष, साहित्य, आदि का प्रमाणिक लेखा जोखा प्रस्तुत करें ।

4. कार्य विभाजन के अनुरूप कार्य की प्रगति (पृथक-पृथक)

समूह में कार्य करने वाले विद्यार्थियों के मध्य परियोजना की विभिन्न कार्यों का विभाजन किया गया है, अतएव इस द्वितीय रिपोर्ट में प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा अब तक किये गए कार्यों का स्पष्ट ब्यौरा यहाँ अपेक्षित है ।

परियोजना कार्य का तृतीय प्रगति प्रतिवेदन

(स्व-हस्तलिखित, 500 शब्दों में)

1. विद्यार्थी द्वारा सम्पादित कार्य का विवरण (प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा पृथक - पृथक)

परियोजना में कार्य करने वाले वाले प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा परियोजना के अंतर्गत आबंटित कार्य में से अब तक किये गए कार्यों का विवरण विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाये।

2. जानकारी / आंकड़ों का विश्लेषण

एकत्रित जानकारी, संख्यात्मक आंकड़ों का सांख्यिकीय एवं तकनीकी विश्लेषण। विश्लेषण का आधार।

3. विश्लेषण की प्रविधि / अनुप्रयुक्त तकनीक

जानकारी एवं परिणामों को विश्लेषण करने की प्रविधि, प्रविधि का चुनाव, प्रक्रिया का पूर्ण विवरण, औचित्य, त्रुटि एवं परिणामों का विश्लेषण। अपेक्षित परिणामों के सन्दर्भ में तुलना।

4. परियोजना कार्य में आने वाली चुनौतियां

परियोजना कार्य के दौरान बाधाओं, चुनौतियों एवं अन-अपेक्षित परिणाम देने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी एवं उनसे उत्पन्न परिस्थितियां, उनके समाधान आदि का ब्यौरा।

प्रोजेक्ट (परियोजना) अंतिम रिपोर्ट

(स्व-हस्तलिखित, न्यूनतम 5000 शब्दों में)

1. परियोजना का विषय / शीर्षक
2. विद्यार्थी का मौलिकता घोषणा पत्र
3. पर्यवेक्षक / निर्देशक का अनुमोदन पत्र
4. संस्था/ व्यक्ति / मार्गदर्शक द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र
5. आभार पत्र
6. अनुक्रमणिका
7. अध्याय प्रथम
 - परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र
 - पृष्ठभूमि, साहित्य समीक्षा
 - परियोजना कार्य की योजना, प्रासंगिकता एवं लक्षित प्रतिफल
 - सम्बंधित कार्यस्थल/ संस्थान का विवरण (जहाँ कार्य किया गया है)
8. अध्याय द्वितीय
 - परियोजना कार्य प्रणाली (वर्क फ्लो)
 - जानकारी संग्रह / फील्ड सर्वे का विवरण
 - विश्लेषण की प्रविधि / अनुप्रयुक्त तकनीक, जानकारी / आंकड़ों का विश्लेषण
9. अध्याय तृतीय
 - निष्कर्ष, प्राप्त प्रतिफल एवं विश्लेषण
 - परियोजना कार्य में चुनौतियां
 - निष्कर्ष के आधार पर अनुशंसाएं
10. सन्दर्भ सूची

अध्याय-प्रथम

➤ परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र

इस बिंदु के अंतर्गत विद्यार्थी अपनी प्रस्तावित परियोजना का प्रारंभिक परिचय प्रस्तुत करेंगे जिसमें कार्य का वृहत क्षेत्र, आवश्यकता, विषय वस्तु की परिकल्पना का विवरण, आदि दिया जायेगा।

➤ पृष्ठभूमि, साहित्य समीक्षा

इस परियोजना से सम्बंधित पूर्व कार्य, तकनीकी पक्ष, साहित्य, आदि का प्रमाणिक लेखा जोखा प्रस्तुत करें।

➤ परियोजना कार्य की योजना, प्रासंगिकता एवं लक्षित प्रतिफल

प्रस्तावित कार्य की रूपरेखा तथा किस प्रकार उसे संपन्न किया जाना है, इसकी जानकारी प्रस्तुत करें।

प्रस्तावित परियोजना के लक्ष्य संक्षिप्त और SMART- .S-Specific (विशिष्ट/ स्पष्ट), M-Measurable (मापन योग्य), A-Achievable (प्राप्त/ पूर्ण करने योग्य), R-Realistic/ Relatable (वास्तविक/ प्रासंगिक), T-Time Bound (समयबद्ध) होना चाहिए।

परियोजना की उपयोगिता, वास्तविक जीवन में प्रासंगिकता, यह कार्य किस प्रकार से प्रभावी होगा और इसके अनुप्रयोग के बारे में इस रिपोर्ट में लेखन किया जाना चाहिए।

➤ सम्बंधित कार्यस्थल / संस्थान का विवरण (जहाँ कार्य किया गया है)

परियोजना कार्य / फील्ड सर्वे इत्यादि का कार्यस्थल, जहाँ इसे पूर्ण किया जाना है, अथवा जिस संस्थान या स्थल का प्रारूप समक्ष रखकर योजना बनाई गई है, उसका पूर्ण विवरण दें। विषय की आवश्यकता के अनुरूप संस्थान के अंतर्गत कार्यों का विवरण एवं परियोजना कार्य से सम्बंधित कार्यप्रणाली का विवरण देना उचित होगा।

अध्याय-द्वितीय

➤ परियोजना कार्यप्रणाली (वर्क फ्लो)

परियोजना कार्य में की जाने वाली कार्यवाही, चरण और उनके क्रम के बारे में इस रिपोर्ट में लेखन किया जाए।

➤ जानकारी संग्रह / फील्ड सर्वे का विवरण

परियोजना सम्बंधित सर्वे, आवश्यक जानकारी संग्रह, आंकड़ों के एकीकरण, सामान्यीकरण तथा सारणीयन प्रक्रिया की जानकारी आदि।

➤ विश्लेषण की प्रविधि / अनुप्रयुक्त तकनीक, तकनीक, जानकारी / आंकड़ों का विश्लेषण एकत्रित जानकारी, संख्यात्मक आंकड़ों का सांख्यिकीय एवं तकनीकी विश्लेषण। विश्लेषण का आधार। जानकारी एवं परिणामों को विश्लेषण करने की प्रविधि, प्रविधि का चुनाव, प्रक्रिया का पूर्ण विवरण।

अध्याय-तृतीय

➤ निष्कर्ष, प्राप्त प्रतिफल एवं विश्लेषण

प्राप्त परिणामों औचित्य, उद्देश्य पूर्ति, संभावित त्रुटि एवं परिणामों का विश्लेषण। अपेक्षित परिणामों (लक्षित प्रतिफल) के सन्दर्भ में तुलना।

➤ परियोजना कार्य में चुनौतियां

परियोजना कार्य के दौरान बाधाओं, चुनौतियों एवं अन-अपेक्षित परिणाम देने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी एवं उनसे उत्पन्न परिस्थितियां, उनके समाधान आदि का ब्यौरा।

➤ निष्कर्ष के आधार पर अनुशंसाएं

कार्य के परिणामों और विश्लेषण के आधार पर अनुशंसाएं, अर्थात् इस क्षेत्र में कैसे और भी उन्नत प्रक्रम लागू किया जा सकता है, भविष्य में क्या परिवर्तन संभावित हैं जिसके लिए कार्यविधि में परिवर्तन/ परिवर्धन होना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

कार्य की साहित्य समीक्षा, प्रविधि, तकनीक आदि के सन्दर्भ में जिन पुस्तकों, लेखों, ऑनलाइन संसाधनों आदि का उपयोग किया है उनके पूर्ण विवरण यहाँ सूची के रूप में दिए जाए।

प्रशिक्षता (Internship) / शिक्षता (Apprentiship) का प्राथमिक प्रतिवेदन

(स्व-हस्तलिखित, 500 शब्दों में)

1. प्रशिक्षता (Internship) / शिक्षता (Apprentiship) कार्य का क्षेत्र :

इस बिंदु के अंतर्गत विद्यार्थी अपने प्रस्तावित प्रशिक्षण का सार प्रस्तुत करेंगे जिसमें प्रशिक्षण का वृहत क्षेत्र, आवश्यकता एवं अनुप्रयोग की परिकल्पना का विवरण दिया जावेगा।

2. कार्य का विवरण :

प्रशिक्षण कार्य के अंतर्गत सीखने वाले कार्य की विषय वस्तु, कौशल, प्रायोगिक कार्य का विवरण।

3. सम्बंधित कार्यस्थल/ संस्थान का विवरण (जहाँ कार्य किया जाना है) :

प्रशिक्षण देने वाली संस्था, कार्य स्थल, स्वरूप इत्यादि का वर्णन दें। संस्थान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों का विवरण एवं कार्य से सम्बंधित कार्यप्रणाली का विवरण दें।

4. उद्देश्य तथा प्रासंगिकता :

प्रस्तावित प्रशिक्षण के लक्ष्य SMART- .S-Specific (विशिष्ट/ स्पष्ट), M-Measurable (मापन योग्य), A-Achievable (प्राप्त/पूर्ण करने योग्य) R-Realistic/ Relatable (वास्तविक/ प्रासंगिक), T-Time Bound (समयबद्ध) होना चाहिए।

-- यहाँ विशिष्ट होने से अभिप्राय है कि प्रशिक्षण कार्य के पीछे स्पष्ट निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित हों। मापन योग्य का अर्थ है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित प्रशिक्षण के उद्देश्य की पूर्ण / आंशिक पूर्ति हो सकी है अथवा नहीं। वास्तविक प्रशिक्षण के ध्येय प्राप्ति की संभावना सुनिश्चित हो। साथ ही प्रशिक्षण के कौशल को कितने समय में, किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकेगा इसका भी कथन कार्ययोजना में होना चाहिए।

प्रस्तावित कौशल अर्जन की वास्तविक जीवन में उपयोगिता, प्रासंगिकता और इसके अनुप्रयोग के बारे में इस रिपोर्ट में दर्ज करें।

प्रशिक्षता (Internship) / शिक्षता (Apprentiship) रिपोर्ट

(स्व-हस्तलिखित, न्यूनतम 2000 शब्दों में)

1. प्रशिक्षता (Internship) / शिक्षता (Apprentiship) कार्य का शीर्षक
2. विद्यार्थी का मौलिकता घोषणा पत्र
3. पर्यवेक्षक / निर्देशक का अनुमोदन पत्र
4. संस्था / व्यक्ति / मार्गदर्शक द्वारा कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र
5. आभारपत्र
6. वचनपत्र / ऑफर (प्रस्ताव) लैटर
7. अनुक्रमणिका
8. प्रशिक्षता (Internship) / शिक्षता (Apprentiship) कार्य का क्षेत्र
9. संस्था / व्यक्ति का विवरण
10. किये गए कार्य का विवरण तथा उपयोगिता
11. उद्देश्य, प्रविधि, तकनीकी विवरण, कार्य प्रणाली
12. लक्षित प्रतिफल (Intended Outcomes)
13. प्राप्त प्रतिफल (Achieved Outcomes), दक्षतायें
14. ज्ञान एवं कौशल में अभिवृद्धि
15. अनुप्रयोग (Application)
16. निष्कर्ष एवं भविष्य की योजना

सामुदायिक जुड़ाव कार्य का प्राथमिक प्रतिवेदन

(स्व-हस्तलिखित, 500 शब्दों में)

1. सामुदायिक जुड़ाव / सेवा कार्य का क्षेत्र

विद्यार्थी अपने प्रस्तावित अध्ययन का रूपरेखा का प्रारंभिक परिचय इस बिंदु के अंतर्गत प्रस्तुत करेंगे, जिसमें अध्ययन का वृहत क्षेत्र, आवश्यकता एवं उसके लक्षित लाभ व अनुप्रयोग की परिकल्पना का विवरण दिया जावेगा।

2. कार्य का विवरण

अध्ययन / सर्वे कार्य के अंतर्गत आने वाले विषय का विचार, कौशल, प्रायोगिक कार्य का विवरण।

3. सम्बंधित कार्यस्थल / संस्थान का विवरण (जहाँ कार्य किया जाना है)

संस्था, कार्य स्थल, प्रक्रिया, योजना उसके स्वरूप इत्यादि का वर्णन दें। संस्थान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों का विवरण एवं कार्य से सम्बंधित कार्यप्रणाली का विवरण दें।

4. उद्देश्य तथा प्रासंगिकता

प्रस्तावित अध्ययन के लिए निर्धारित लक्ष्य SMART* होना चाहिए।

S-Specific (विशिष्ट/ स्पष्ट), M-Measurable (मापन योग्य), A-Achievable (प्राप्त / पूर्ण करने योग्य) R-Realistic/ Relatable (वास्तविक/ प्रासंगिक), T-Time Bound (समयबद्ध);

- यहाँ विशिष्ट होने से अभिप्राय है कि अध्ययन कार्य के पीछे स्पष्ट निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित हों। मापन योग्य का अर्थ है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ण / आंशिक पूर्ति हो सकी है अथवा नहीं। साथ ही वास्तविक ध्येय प्राप्ति की संभावना सुनिश्चित हो। अध्ययन कितने समय में, किस प्रकार से किया जा सकेगा इसका भी कथन कार्ययोजना में होना चाहिए।

प्रस्तावित अध्ययन की वास्तविक जीवन में उपयोगिता, प्रासंगिकता और इसके अनुप्रयोग के बारे में इस रिपोर्ट में कथन किया जाना चाहिए।

सामुदायिक - जुड़ाव कार्य रिपोर्ट

(स्व-हस्तलिखित, न्यूनतम 2000 शब्दों में)

1. कार्य शीर्षक एवं क्षेत्र
2. विद्यार्थी का मौलिकता घोषणा पत्र
3. संस्था / कार्यालय द्वारा कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र
4. संस्था / कार्यालय का प्रतिपुष्टि प्रपत्र (Feedback Form)
5. आभार पत्र
6. वचन पत्र
7. आमंत्रण पत्र (Offer Letter)
8. अनुक्रमणिका
9. संस्था/कार्य क्षेत्र / योजना का विवरण
10. उद्देश्य एवं पृष्ठभूमि
11. कार्य प्रविधि, प्रक्रिया विवरण एवं प्रासंगिकता
12. लक्षित प्रतिफल (Intended Outcomes)
13. प्राप्त प्रतिफल (Achieved Outcomes)
14. ज्ञान एवं क्षमता में अभिवृद्धि
15. निष्कर्ष एवं सारांश
16. अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष की उपयोगिता

(सैंपल रिपोर्ट)

सैंपल परियोजना / शिक्षता / प्रशिक्षता / सामुदायिक जुडाव रिपोर्ट /

(कार्य का शीर्षक)

स्नातक: विज्ञान / कला / वाणिज्य / गृहविज्ञान

की डिग्री के लिये आंशिक प्रतिपूर्ति

सत्र: 2021 - 22

विद्यार्थी / विद्यार्थियों के नाम	कक्षा	अनुक्रमांक
1.		
2.		
3.		

संस्था का नाम

(जहाँ कार्य पूर्ण किया गया)

.....
.....

पर्यवेक्षक का नाम

.....
.....

महाविद्यालय का लोगो

महाविद्यालय का नाम

संबंधित विश्वविद्यालय का नाम

(विद्यार्थी/ समूह का मौलिकता प्रमाणपत्र)

घोषणा पत्र

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता/करती/करते हूँ / हूँ कि यह परियोजना / शिक्षता / प्रशिक्षता / सामुदायिक जुड़ाव रिपोर्ट मेरे / हमारे द्वारा किये गये मूल (Original) कार्य पर आधारित है, जिसमें प्रकाशित एवं अप्रकाशित सामग्री का प्रयोग विधिवत स्वीकृति (Duly acknowledged) उपरांत किया गया है। मैं / हम यह भी घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट किसी अन्य डिग्री / पाठ्यक्रम हेतु पूर्व / वर्तमान में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विद्यार्थियों के नाम	कक्षा	अनुक्रमांक	हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

(पर्यवेक्षक / निर्देशक का अनुमोदन पत्र)

पर्यवेक्षक / निर्देशक

मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त वर्णित रिपोर्ट विद्यार्थियों द्वारा मेरे निर्देशन में, किये गये परियोजना / शिक्षता / प्रशिक्षता / सामुदायिक जुड़ाव कार्य की वास्तविक रिपोर्ट है। यह (महाविद्यालय का नाम) में मेरे अनुमोदन के पश्चात् प्रस्तुत की गयी है।

हस्ताक्षर

निर्देशक

दिनांक

स्थान

(संस्था / व्यक्ति द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र)

(कार्य समाप्ति उपरांत बाह्य संस्था द्वारा संस्था के लेटर हैड पर प्रदत्त प्रमाणपत्र यहाँ संलग्न करें)

संस्था का नाम एवं लोगो

कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि (नाम) कक्षा
(महाविद्यालय का नाम) द्वारा परियोजना कार्य / प्रशिक्षुता / शिक्षुता /
सामुदायिक जुड़ाव ने दिनांक से दिनांक तक इस संस्था से
सम्बद्ध / में उपस्थित रहकर के क्षेत्र में कार्य किया /
प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

(नाम) अति परिश्रमी, समर्पित और परिणामोन्मुखी हैं,
इन्होंने संस्था में अपने कार्यकाल के दौरान अच्छा/ उत्कृष्ट कार्य किया । हम इनके स्वर्णिम
भविष्य की कामना करते हैं ।

शुभकामनाओं सहित,

स्थान.....

दिनांक

.....
संस्था की सील

आभार (Acknowledgment)

नोट: यथा संभव निम्न बिन्दुओं का समावेश करते हुये

- i. महाविद्यालय प्राचार्य
- ii. शिक्षक निर्देशक
- iii. संबंधित विषयक के अन्य प्राध्यापकगण एवं अन्य सहयोगी
- iv. बाह्य संस्था के प्रमुख एवं अन्य सहयोगी
- v. सहपाठी, परिजन एवं अन्य जिनसे सहयोग प्राप्त किया गया

विद्यार्थियों के नाम	कक्षा	अनुक्रमांक	हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

स्थान

दिनांक

अनुक्रमणिका		
स.क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र
I.	i
II.	ii
III.	iii
IV.	iv
अध्याय-प्रथम		
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
.....
अध्याय-द्वितीय		
2.0
2.1
.....
.....
.....
अध्याय: तृतीय		
3.0
.....
.....
.....
.....
.....
.....
सन्दर्भ सूची		